न्यायालय जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट,भरतपुर

प्रा.पत्र/19/27

बैंक ऑफ बड़ौदा शाखा नदबई जरिये प्राधिकृत अधिकारी

.....प्रार्थी सिक्योर क्रेडिटर

बनाम

मै0 जगदम्बा फर्नीचर हाउस एण्ड इलेक्ट्रोनिक प्रो. रोहित कुमार चर्तुवेदी उर्फ रोहिताश निवासी रामसरोवर कॉलोनी हलैना रोड नदबई भरतपुर

.....ऋणी/पार्टनर

प्रार्थना– पत्र अन्तर्गत धारा 14 सिक्योरिटाईजेशन एण्ड रीकन्सट्रक्सन ऑफ फाइनान्सियल एनफोर्समेन्ट ऑफ इन्टरस्ट एक्ट 2002

आदेश दिनांक 26.3.2019

प्रार्थी द्वारा यह प्रार्थना पत्र विरुद्ध अप्रार्थी अन्तर्गत धारा 14 वित्तीय आस्तियों प्रतिभूतिकरण और पुर्नगठन और प्रतिभूतिकरण प्रवत्रन अधिनियम 2002 के तहत अप्रार्थी ऋणी से बंधक सम्पत्ति का कब्जा दिलाये जाने प्रस्तुत कर निवेदन किया गया है कि अप्रार्थी ने दिनांक 9.7.2015 को प्रार्थी बैंक से 30,00,000/– रुपये की ऋण सुविधा ली थी। उक्त प्राप्त ऋण सुविधा के ऐवज में अप्रार्थी ने अपनी अचल सम्पत्ति के सभी अभिन्न भाग जो आवासीय प्लाट न. 40 कल्प वृक्ष कॉलोनी खसरा न0 2929 तहसील नदबई जिला भरतपुर में स्थित है जिसके हदूद अरबा हैं– पूर्व में– प्रोपर्टी आफ सिन्धी, पश्चिम में– हलेना रोड, उत्तर में– प्रोपर्टी आफ दुलारी, हैं को प्रार्थी बैंक हक में बन्धक किया था व बंधक विलेख निष्पादित किया किया था।

अप्रार्थी के द्वारा ऋण राशि एवं ब्याज राशि को समय अवधि में जमा नही कराई गई, जिसके कारण अप्रार्थी/ऋणी के खाता को दिनांक 31.12.2018 को अनर्जक परिसम्पत्ति (एनपीए) घोषित कर दिया कर दिया गया। प्रार्थी बैंक के दिनांक 31.12.2018 तक 3169449.25/– रुपये ब्याज एवं अन्य खर्चे अप्रार्थी/ऋणी पर बकाया निकलता है। जिसको अप्रार्थी ऋणी के द्वारा जमा नहीं कराया गया है। प्रार्थी बैंक द्वारा एक्ट की धारा 13(2) का नोटिस दिनांक 3.1.2019 को अप्रार्थी ऋणी को बकाया ऋण अदायगी हेतु जारी किया गया और उनसे आग्रह किया गया कि वह इस नोटिस की प्राप्ति के 60 दिवस के अन्दर समस्त बकाया रकम को मय ब्याज अदा करें। किन्तु अप्रार्थी ऋणी द्वारा निर्धारित समय अवधि 60 दिवस के बाद भी कोई राशि जमा नहीं की गई है। बैंक द्वारा ऋण राशि एवं देय ब्याज राशि की अदायगी हेतु सभी प्रयास करने के बाबजूद भी अप्रार्थी ऋणी द्वारा ऋण एवं देय ब्याज राशि की अदायगी नहीं की गई है। अतः ऋण सुविधा प्राप्त करते समय बन्धक रखी गई उपर्युक्त सम्पत्ति का भौतिक कब्जा दिलाये जाने की जाने की प्रार्थना की गई है।

.....2

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

पत्रावली का अवलोकन किया गया। उक्त प्राप्त ऋण सुविधा के ऐवज में अप्रार्थी ऋणी ने उपर्युक्त सम्पत्ति को प्रार्थी के हक में बंधक किया था व बंधक विलेख निष्पादित किया था। प्रार्थी बैंक द्वारा एक्ट की धारा 13(2) का नोटिस दिनांक 3.1.2019 अप्रार्थी को बकाया ऋण अदायगी हेतु जारी किया गया, तथा उक्त नोटिस की निर्धारित समय अवधि 60 दिवस के बाद भी अप्रार्थी ऋणी द्वारा राशि जमा नहीं की गई है। बैंक द्वारा ऋण राशि एवं देय ब्याज राशि की अदायगी हेतु सभी प्रयास करने के बाबजूद भी अप्रार्थी ऋणी द्वारा ऋण राशि अदायगी नहीं की गई है। बैंक के द्वारा सभी तरह के प्रयास के बाबजूद राशि नहीं चुकाने पर अन्तिम रुप से उक्त एक्ट की धारा 14 के तहत यह प्रार्थी पत्र प्रस्तुत किया गया है। अतः ऐसी स्थिति में अप्रार्थी ऋणी के द्वारा ऋण सुविधा लेते समय बन्धक रखी गई उपर्युक्त अचज सम्पत्ति का कब्जा प्रापत करने के लिये प्रार्थी बैंक को जरिये प्रतिनिधि अधिकृत किया जाना उचित पाते हैं।

अतः आदेश है कि :–

अतः उक्त प्रार्थना–पत्र स्वीकार किया जाकर आदेशित किया जाता है कि अप्रार्थी ऋणी द्वारा प्रार्थी बैंक से ऋण सुविधा लेते समय उक्त प्राप्त ऋण सुविधा के ऐवज में अप्रार्थी ने अपनी अचल सम्पत्ति के सभी अभिन्न भाग जो आवासीय प्लाट न. 40 कल्प वृक्ष कॉलोनी खसरा न0 2929 तहसील नदबई जिला भरतपुर में स्थित है जिसके हदूद अरबा हैं– पूर्व में– प्रोपर्टी आफ सिन्धी, पश्चिम – में हलेना रोड, उत्तर में– प्रोपर्टी आफ दुलारी, हैं को प्रार्थी बैंक के हक में बंधक किया था व बंधक विलेख निष्पादित किये थे उसका भौतिक कब्जा लेने हेतु प्रार्थी बैंक को जरिये प्रतिनिधि अधिकृत किया जाता है। निर्णय की प्रति जिला पुलिस अधीक्षक भरतपुर को इस निर्देश के साथ प्रेषित की जाती है कि प्रार्थी को खर्चे पर उनकी आवश्यकतानुसार चाहे जाने पर पुलिस सहायता उपलब्ध कराई जावे।

(डॉ. आरुषी मलिक)
जिला मजिस्ट्रेट एवं कलेक्टर,
भरतपुर

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official